मैरिंगमेई आचम

बनाम

एम मैरिंगमेट खुरीपोउ

(2022 की सिविल अपील संख्या 8104)

/

नवंबर 3,2022

[के**.** एम**.** जोसेफ और हृषिकेश रॉय**,** जे**.** जे**.]**

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908-वाद का उपशमन-उचित या नहीं-उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि सिविल विविध अपील यू/या एक्सएल III के तहत दायर की गई,आर. 1 अस्थायी निषेधाज्ञा से इनकार करने वाले आदेश के खिलाफ सी. पी. सी. के आर. 1 को अब आगे नहीं बढ़ाना होगा, क्योंकि मुकदमा अपीलार्थी के दिवंगत पिता द्वारा दायर किया गया था और उसके कानूनी प्रतिनिधियों को शामिल करने के लिए कोई कदम नहीं उठाए गए थे-परिणामस्वरूप, अपीलार्थी के पिता द्वारा दायर मुकदमा समाप्त हो गया था-क्योंकि, जिस मुकदमे से अपील उत्पन्न हुई थी, उससे आगे कुछ भी नहीं बचा था-आयोजित किया गयाःध्यान देने योग्य एक परिस्थिति यह है कि अंतरिम आदेश देने से इनकार करने के खिलाफ अपील के लंबित रहने के दौरान अपीलार्थी के पिता की मृत्यु हो गई-अपीलार्थी ने अपने कानूनी प्रतिनिधि के रूप में रिकॉर्ड में आने की मांग करते हुए अपीलीय न्यायालय के समक्ष आवेदन दायर किया था-आवेदन की अनुज्ञात गई थी-इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि कानूनी प्रतिनिधि को एक अंतर्वर्ती आदेश से अपील में रिकॉर्ड में लाया गया था, इस तरह का अभियोग कार्यवाही के प्रति ही सुनिश्चित होगा-अपीलार्थी को मुकदमे में शामिल करने में विफलता मुकदमे के निरंतर अभियोजन के लिए घातक नहीं होगी-इसलिए, मुकदमे को आगे बढ़ाया जाना चाहिए-उच्च न्यायालय के आदेश को दरकिनार कर दिया गया।

/

/

/

रंगूबाई कॉम शंकर जगतप बनाम सुंदराबाई भतरार

/

सखाराम जेधे और अन्य [ए. आई. आर 1965 एस. सी. 1794]:[1965] एस. सी. आर. 211-पर निर्भर।

संदर्भित निर्णय

[1965] एस**.** सी**.** आर**. 211** पर निर्भर

पैरा **9**

/

सिविल अपीलीय अधिकारिता 2022 की सिविल अपील संख्या 8104।

2019 के सी. आर. पी. (सी. आर. पी. अनुच्छेद 227) सं. 29 में इम्फाल में मणिपुर उच्च न्यायालय के दिनांकित 11.03.2021 के निर्णय और आदेश से।

/

148 ए.

149

मैरिंगमेई आचम बनाम एम. मैरिंगमेट खुरीपो ए

अमित पवन, आनंद नंदन, हसन जुबैर वारिस, सुश्री शिवांगी, सुचित सिंह रावत, आकर्ष, भरत सिंह, आशीष पांडे, क्षितिज सिंह, कुशाग्र रघुवंशी, महिपाल खगनवाल, अधिवक्ता।अपीलार्थी के लिए।एन. उमाकांत सिंह, एन. जी. जूनियर, नीरज कुमार गुप्ता, अधिवक्ता।प्रत्यर्थियों के लिए।

/

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

के**.** एम**.** जोसेफ**,** न्या **.**

अनुमति दी गई।

1. आक्षेपित आदेश सिविल संशोधन याचिका में पारित एक आदेश है।उच्च न्यायालय ने पाया है कि इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि अपीलार्थी के दिवंगत पिता (मारिंगमेई थैतौंगम) द्वारा दायर किया गया मुकदमा, जिसकी मृत्यु हो गई थी और क्योंकि उसके कानूनी प्रतिनिधियों को शामिल करने के लिए कोई कदम नहीं उठाए गए थे, कम हो गया था, अपीलार्थी के पिता द्वारा दायर मुकदमे के उपशमन का परिणाम यह था कि अस्थायी निषेधाज्ञा से इनकार करने वाले

आदेश के खिलाफ सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश XLIII नियम 1 के अंतर्गत दायर नागरिक विविध अपील पर अब आगे नहीं बढ़ना होगा।

/

/

एफ ए सी टी एस

2. यह अपीलार्थी का मामला है कि उसके पिता (मारिंगमेई थैतौंगम) वर्ष 1972 में लामदान काबुई नाम के एक गाँव के मुखिया बने। यह उनका आगे का मामला है कि गाँव लमदान काबुई के प्रमुख (खुल्लकपा) का पद रोंगमेई काबुई प्रथागत विधि के अनुसार वंशानुगत है और जिसके अनुसार गाँव के प्रमुख की मृत्यु पर कबीले का सबसे बड़ा सदस्य/बेटा प्रमुख बन जाता है।यह प्रथा प्राचीन काल से अस्तित्व में है और राजपत्र में भी अधिसूचित की गई है।यह ऐसी प्रथा है कि अपीलार्थी के पिता वर्ष 1972 में प्रमुख बने।

/

/

3. अपीलार्थी के पिता ने 10.03.2014 पर 2014 का मूल (घोषणात्मक) मुकदमा संख्या 3 दायर किया और तर्क दिया कि वह 1972 से गाँव के मुखिया थे।वर्ष 2013 में उनकी पत्नी का निधन हो गया था। यहाँ प्रत्यर्थी ने दावा किया कि एक विधुर प्रमुख नहीं बन सकता है, उसने खुद को प्रमुख घोषित करते हुए कुछ कार्यवाही जाली बनाई थी।यह उनका आगे का तर्क था कि भले ही मूल वादी प्रमुख के रूप में कार्य नहीं कर सकता था, लेकिन उसका बेटा प्रमुख बन सकता है।अपीलार्थी के पिता ने प्रमुख (खुल्लकपा) के रूप में अपने अधिकार की घोषणा से राहत मांगी।उन्होंने आगे यह घोषणा करने की मांग की कि उपायुक्त, चुराचांदपुर द्वारा पारित आदेश दिनांकित है।

/

/

20.01.2014 जिसके द्वारा प्रतिवादी को प्रमुख के रूप में मान्यता दी गई थी, वह अमान्य था और पेड़ों की कटाई के खिलाफ एक स्थायी निषेधाज्ञा भी मांगी गई थी।

4. मूल वादी ने आदेश XXXIX नियम 1 के अंतर्गत निषेधाज्ञा की मांग करते हुए एक आवेदन दायर किया जिसमें प्रतिवादी को प्रमुख के रूप में कार्य करने, पेड़ों की कटाई और गृह कर एकत्र करने से रोकने की मांग की गई।प्रत्यर्थी ने अपनी लिखित आपत्तियाँ दायर कीं।यह ध्यान देने के लिए पर्याप्त है कि अंतरिम निषेधाज्ञा की मांग करने वाले आवेदन को निचली न्यायालय ने अस्वीकार कर दिया था, जिसके परिणामस्वरूप मूल वादी द्वारा जिला न्यायाधीश के समक्ष 2014 का सिविल विविध आवेदन संख्या 2 दायर किया गया था।अभिलेख की मांग की जाने लगी।अगली परिस्थिति पर ध्यान दिया जाना महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें मूल वादी-अपीलार्थी के पिता (मारिंगमेई थाईटोंगम) की मृत्यु शामिल है जो 07.09.2014 पर हुई थी।यह घटना अंतरिम आदेश देने से इनकार के खिलाफ अपील के लंबित रहने के दौरान हुई थी।सितंबर, 2014 में, अपीलार्थी ने अपने कानूनी प्रतिनिधि के रूप में अभिलेख पर आने के लिए अपीलीय न्यायालय के समक्ष आवेदन दायर किया।इस आवेदन को 18.09.2014 दिनांकित आदेश द्वारा अनुज्ञात गई।

/

/

/

5. 23.12.2014 पर, प्रत्यर्थी ने एक मुकदमा दायर किया (2014 का मूल (निषेधाज्ञा) मुकदमा संख्या 39) जिसमें अपीलार्थी को ग्राम प्रमुख के रूप में कार्य करने से रोकने की मांग की गई थी।प्रतिवादी ने अस्थायी निषेधाज्ञा की मांग करते हुए एक आवेदन भी दायर किया।उक्त आवेदन को अनुज्ञात गई।2015 की सिविल विविध अपील संख्या 2 को अपीलार्थी द्वारा अपीलार्थी के खिलाफ निषेधाज्ञा देने के आदेश को चुनौती देते हुए फिर से दायर किया गया था। उच्च न्यायालय ने दिनांक 1 के आदेश द्वारा सत्यापन का निर्देश दिया कि क्या मूल वादी (अपीलार्थी के पिता) की मृत्यु के बाद, मुकदमे में कोई प्रतिस्थापन हुआ था।

/

6. दो सिविल विविध अपीलों के समाधान की मांग करने वाले अपीलार्थी द्वारा दायर आवेदन पर, दिनांक 27.11.2018 के आदेश द्वारा, अनुरोध के अनुसार समाधान की अनुज्ञात गई थी।प्रत्यर्थी द्वारा उसी के लिए एक चुनौती के परिणामस्वरूप 15.04.2019 दिनांकित आदेश की पुष्टि की गई।हालांकि, उच्च न्यायालय द्वारा यह देखा गया कि यह प्रतिवादी के लिए अपीलों की स्थिरता को चुनौती देने के लिए खुला है।यह वह आदेश है जिसके कारण 13.05.2019 दिनांकित आदेश पारित किया गया।उक्त आदेश द्वारा, जिला न्यायाधीश ने स्पष्ट रूप से पाया कि अपीलें विचारणीय हैं।इसके कारण पुनरीक्षण याचिका दायर की गई और इसकी परिणति दिनांकित 11.03.2021 के आक्षेपित आदेश में हुई।

/

/

हमने अपीलार्थी के लिए विद्वान वकील और प्रत्यर्थी के लिए विद्वान वकील को सुना है।

/

151

मैरिंगमेई आचम बनाम एम मैरिंगमेट खुरीपो [के. एम. जोसेफ, जे.] ए.

/

7. पैराग्राफ नंबर 11 में उच्च न्यायालय के निष्कर्ष इस प्रकार हैं:

“[11] हालाँकि यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि मारिंगमेई थैतौंगम की वाद प्रार्थना न केवल उन्हें लामदान काबुई गाँव के मौजूदा या निरंतर प्रमुख के रूप में घोषित करने के लिए थी, बल्कि चुराचांदपुर के उपायुक्त द्वारा पारित आदेश को भी अमान्य घोषित करने के लिए थी।उक्त आदेश द्वारा, उपायुक्त ने मारिंगमेई खुरिपोउ के इस दावे को मंजूरी और पुष्टि दी थी कि वह लामदान काबुई गाँव के नए खुल्लकपा/प्रमुख थे।वास्तव में, उक्त पद के लिए मारिंगमेई थैतौंगम के दावे को इस आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया।जब तक उक्त आदेश को दरकिनार नहीं किया जाता, तब तक मारिंगमेई आचम द्वारा गाँव के मुखिया के संबंध अंतर्गत अपने दिवंगत पिता के अधीन कोई वंशानुगत अधिकार मांगने का प्रश्न ही नहीं उठेगा।उस हद तक, मारिंगमेई आचम की रुचि थी और मुकदमे की कार्यवाही जारी रखने का अधिकार था क्योंकि उपायुक्त के दिनांकित 20.01.2014 के आदेश के संबंध में कार्रवाई का कारण मारिंगमेई थैतौंगम की मृत्यु के बाद भी उनके लिए जीवित रहा।इसलिए, मारिंगमेई खुरिपो की याचिका कि एकमात्र वादी मारिंगमेई थैतौंगम की मृत्यु के बाद मुकदमे में कार्रवाई का कारण पूरी तरह से समाप्त हो गया था, को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। "

/

/

/

इस तरह के निष्कर्ष के बाद, उच्च न्यायालय ने नोटिस दिया है कि अपीलार्थी के पिता द्वारा दायर 2014 का मूल (घोषणात्मक) मुकदमा संख्या 3 दिसंबर, 2014 में एकमात्र वादी की मृत्यु के कारण बहुत पहले समाप्त हो गया था।चूँकि सी. पी. सी. के आदेश XXII के अंतर्गत समय के भीतर कोई आवेदन दायर नहीं किया गया था, इसलिए मुकदमा समाप्त हो गया।यह अनिवार्य रूप से इस आधार पर था कि न्यायालय ने यह पाया कि अपीलीय न्यायालय ने 2014 की सिविल विविध अपील संख्या 2 की स्थिरता पर विचार करते हुए इस महत्वपूर्ण पहलू पर ध्यान नहीं देते हुए गलती की और खुद को केवल मामले के गुण-दोष तक सीमित रखा।

/

/

8. उच्च न्यायालय ने कहा कि प्रक्रिया हालांकि केवल न्याय की सहायक है, लेकिन जब अपील के अंतर्गत आदेश का आधार ध्वस्त हो जाता है तो गुण-दोष के आधार पर अपील पर विचार करने की सीमा तक इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है।अनिवार्य रूप से इसका मतलब यह था कि उच्च न्यायालय ने पाया कि चूंकि जिस मुकदमे से अपील की गई थी, वह समाप्त हो गया था, इसलिए आगे कुछ भी नहीं बचा।

/

9. अपीलार्थी के विद्वान वकील का तर्क होगा कि उच्च न्यायालय का दृष्टिकोण गलत है।वह बताएगा कि पराग

/

11 (उपर्युक्त) उच्च न्यायालय के सही दृष्टिकोण को दर्शाता है कि अपीलार्थी को अपने पिता द्वारा दायर किए गए मुकदमे पर मुकदमा चलाना जारी रखने का अधिकार है।लेकिन इसके बाद, आक्षेपित आदेश का आधार यह है कि अपीलार्थी के पिता-एकमात्र वादी की मृत्यु के परिणामस्वरूप वाद को समाप्त कर दिया गया था, और समय के भीतर कानूनी प्रतिनिधियों को रिकॉर्ड पर लाने से यह अस्थिर नहीं हुआ था, निषेधाज्ञा के अनुदान या इनकार से अपील में विचार किए जाने के लिए और कुछ नहीं बचा है।

/

वह प्रस्तुत करेगा कि यह एक ऐसा मामला है जिसका निर्णय विधि ी स्थिति को ध्यान में रखते हुए अपीलार्थी के पक्ष में किया जाना है जो रंगूबाई कॉम मामले में इस न्यायालय के निर्णय द्वारा स्पष्ट रूप से निर्धारित किया गया है।

शंकर जगतप बनाम सुंदराबाई भर्तार सखाराम जेधे और अन्य

/

[ए. आई. आर. 1965 एस. सी. 1794]इसमें इस न्यायालय ने अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित रूप में निर्धारित किया:“9. आइए अब हम इस प्रश्न पर सैद्धांतिक रूप से विचार करें।सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश XXII, नियम 3,4 और 11 के संयुक्त अध्ययन से पता चलता है कि उपशमन का सिद्धांत मुकदमे के साथ-साथ अपील पर भी समान रूप से लागू होता

है।अपील के लिए उक्त नियम 3 और 4 के आवेदन में, "वादी" और "प्रतिवादी" के बजाय, "अपीलार्थी" और "प्रतिवादी" को उन नियमों में पढ़ा जाना चाहिए।इसलिए, प्रथम दृष्टया, यदि किसी प्रत्यर्थी की मृत्यु हो जाती है और निर्धारित समय के भीतर उसके कानूनी प्रतिनिधियों को रिकॉर्ड में नहीं लाया जाता है, तो सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश XXII के नियम 11 के साथ पठित नियम 4 के अंतर्गत प्रत्यर्थी के खिलाफ अपील समाप्त हो जाती है।लेकिन उपरोक्त निर्णय में न्यायिक समिति द्वारा मान्यता प्राप्त एक और सिद्धांत है जो इस नियम की कठोरता को नरम करता है।उक्त सिद्धांत यह है कि यदि कानूनी प्रतिनिधियों को मुकदमे के एक चरण में निर्धारित समय के भीतर रिकॉर्ड पर लाया जाता है, तो यह मुकदमे के बाद के सभी चरणों के लाभ के लिए सुनिश्चित होगा।विभिन्न स्थितियों में इस सिद्धांत को लागू करने से वर्तमान मामले में प्रस्तुत समस्या का उत्तर देने में मदद मिलेगी।(1) ए ने बी के खिलाफ कब्जा और अपने लाभ की वसूली के लिए मुकदमा दायर किया।मुद्दों को विरचित करने के बाद, बी की मृत्यु हो गई। दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के लिए एक अंतर्वर्ती आवेदन के चरण में, बी के कानूनी प्रतिनिधियों को निर्धारित समय के भीतर रिकॉर्ड पर लाया गया था।उन्हें अभिलेख पर लाने का आदेश पूरे मुकदमे के लाभ के लिए सुनिश्चित करेगा।(2) मुकदमे का फैसला सुनाया गया और उच्च न्यायालय में एक अपील दायर की गई और उसमें लंबित थी।प्रतिवादी की मृत्यु हो गई और उसके कानूनी प्रतिनिधियों को रिकॉर्ड में लाया गया।बाद में मुकदमे को निचली विचारण न्यायालय में भेज दिया गया।कानूनी ए लाने का आदेश

/

/

/

/

/

अपील में दर्ज प्रतिनिधि मुकदमे के आगे के चरणों के लिए आश्वस्त करेंगे।(3) एक मुकदमे में एक अंतर्वर्ती आदेश के खिलाफ अपील दायर की गई थी।अपील लंबित रहने पर प्रतिवादी की मृत्यु हो गई और उसके कानूनी प्रतिनिधियों को रिकॉर्ड में लाया गया।याचिका खारिज कर दी गई।अपील एक निरंतरता या मुकदमे का एक चरण होने के कारण, कानूनी प्रतिनिधियों को रिकॉर्ड पर लाने का आदेश मुकदमे के बाद के चरणों के लिए सुनिश्चित करेगा।यह ऐसा होगा चाहे अपील में निचली अदालत के आदेश की पुष्टि की गई हो, उसमें संशोधन किया गया हो या उसे उलट दिया गया हो।उपरोक्त 3 दृष्टांतों में एक तथ्य सामान्य है, अर्थात्, कानूनी प्रतिनिधियों को अभिलेख पर लाने का आदेश मुकदमे के एक चरण में किया गया था, चाहे वह मुकदमे में हो या

अंतर्वर्ती आदेश के खिलाफ अपील में या मुकदमे में दिए गए अंतिम आदेश में, अपील के लिए केवल मुकदमे की निरंतरता है।चाहे अपीलीय आदेश पहले न्यायालय की पुष्टि करता है, इसे संशोधित करता है या उलट देता है, यह उस आदेश को प्रतिस्थापित या प्रतिस्थापित करता है जिसके खिलाफ अपील की गई थी।यह सूट में अपनी जगह लेता है और इसका हिस्सा बन जाता है।यह वैसा ही है जैसा कि मुकदमा एक स्तर पर अपीलीय न्यायालय में लाया गया था और उसमें दिए गए आदेश मुकदमे में ही किए गए थे।इसलिए, वह आदेश मुकदमे के बाद के चरणों के लिए सुनिश्चित करता है। "

/

/

/

10. दूसरी ओर, प्रत्यर्थी के विद्वत वकील का कहना होगा कि अपीलार्थी द्वारा प्रचार की गई विधि ी स्थिति अनुचित है और उच्च न्यायालय उस आदेश के प्रभाव की अनदेखी करने में गलती कर सकता है जिसके द्वारा जिला न्यायालय ने मूल वादी-अपीलार्थी के पिता के विधि ी प्रतिनिधि के रूप में अपीलार्थी को रिकॉर्ड पर लाई गई सिविल विविध अपील में आदेश दिया था।हालाँकि, वह इंगित करेंगे कि अनुच्छेद 227 के अंतर्गत याचिका में उनकी शिकायत पर उच्च न्यायालय द्वारा विचार नहीं किया गया है।वह इंगित करेंगे कि उनका तर्क था कि मूल वादी की मृत्यु पर, जो राहत उनके लिए विशुद्ध रूप से व्यक्तिगत थी, उसे अपील में मूल वादी के अपीलार्थी-पुत्र द्वारा आगे बढ़ाने की अनुज्ञात नहीं दी जा सकती थी।

/

/

इसलिए वह प्रार्थना करेंगे कि मामला उनके तर्क पर विचार करने के लिए उच्च न्यायालय में वापस जाना चाहिए जो उनके अनुसार उच्च न्यायालय द्वारा नहीं किया गया है।

/

11. मुकदमे में, जैसा कि हमने देखा है, 2014 का मुकदमा संख्या 3, जो अपीलार्थी के पिता द्वारा दायर किया गया मुकदमा था, उच्च न्यायालय ने निष्कर्ष दर्ज किया है जैसा कि हमने आक्षेपित आदेश के पैराग्राफ 11 में देखा है।प्रत्यर्थी के विद्वान वकील, जैसा कि हमने देखा है, उच्च न्यायालय के उक्त तर्क पर आपत्ति नहीं लेते हैं।इसका मतलब यह है कि

/

एकमात्र वादी के निधन के बावजूद अपीलार्थी द्वारा मुकदमा जारी रखा जा सकता है।जहाँ तक विविध अपील के लंबित रहने के दौरान मूल वादी की मृत्यु के प्रभाव का संबंध है, हमने इस न्यायालय के फैसले पर ध्यान दिया है।यह मामला चित्रण संख्या तीन को आकर्षित करता है जिसे निर्णय के पैराग्राफ 9 में संदर्भित किया गया है।स्पष्टता के लिए, हम उसी को दोहराते हैंः

/

“..... ..... (3) एक मुकदमे में एक अंतर्वर्ती आदेश के खिलाफ अपील दायर की गई थी। अपील लंबित रहने पर प्रतिवादी की मृत्यु हो गई और उसके कानूनी प्रतिनिधियों को रिकॉर्ड में लाया गया।याचिका खारिज कर दी गई।अपील एक निरंतरता या मुकदमे का एक चरण होने के कारण, कानूनी प्रतिनिधियों को रिकॉर्ड पर लाने का आदेश मुकदमे के बाद के चरणों के लिए सुनिश्चित करेगा।यह ऐसा होगा चाहे अपील में निचली अदालत के आदेश की पुष्टि की गई हो, उसमें संशोधन किया गया हो या उसे उलट दिया गया हो।उपरोक्त 3 दृष्टांतों में एक तथ्य सामान्य है, अर्थात्, कानूनी प्रतिनिधियों को अभिलेख पर लाने का आदेश मुकदमे के एक चरण में किया गया था, चाहे वह मुकदमे में हो या अंतर्वर्ती आदेश के खिलाफ अपील में या मुकदमे में दिए गए अंतिम आदेश में, अपील के लिए केवल मुकदमे की निरंतरता है।चाहे अपीलीय आदेश पहले न्यायालय की पुष्टि करता है, इसे संशोधित करता है या उलट देता है, यह उस आदेश को प्रतिस्थापित या प्रतिस्थापित करता है जिसके खिलाफ अपील की गई थी।यह सूट में अपनी जगह लेता है और इसका हिस्सा बन जाता है।यह वैसा ही है जैसा कि मुकदमा एक स्तर पर अपीलीय न्यायालय में लाया गया था और उसमें दिए गए आदेश मुकदमे में ही किए गए थे। इसलिए, वह आदेश मुकदमे के बाद के चरणों के लिए सुनिश्चित करता है। "

/

/

/

/

12. इस मामले में ही, इसी तरह मुकदमे में, मूल वादी द्वारा मांगी गई अस्थायी निषेधाज्ञा को अस्वीकार कर दिया गया था।अंतर्वर्ती आदेश देने से इनकार करने के खिलाफ एक अपील दायर की गई थी।मूल वादी-अपीलार्थी के पिता का अपील के लंबित रहने के दौरान निधन हो गया है, कानूनी प्रतिनिधि जो मूल वादी का पुत्र है।, अपीलार्थी को, अपील में न्यायालय के दिनांक 18.09.2014 के आदेश द्वारा अभिलेख पर लाया गया था।यह तथ्य कि वाद में विधि ी प्रतिनिधि को प्रतिस्थापित नहीं किया गया था, इसका परिणाम वह परिणाम नहीं होगा जो उच्च न्यायालय ने इस न्यायालय द्वारा की गई विधि की घोषणा के संबंध में आक्षेपित आदेश में पाया है।दूसरे शब्दों में, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि कानूनी प्रतिनिधि को ए से अपील में रिकॉर्ड पर लाया गया है।

/

/

अंतर्वर्ती आदेश, इस तरह का अभियोग मुकदमे में ही कार्यवाही के प्रति प्रेरित करेगा।इसे और स्पष्ट करने के लिए, अपीलार्थी को मुकदमे में शामिल करने में विफलता मुकदमे के निरंतर अभियोजन के लिए घातक नहीं होगी।इसलिए, वाद को आगे बढ़ाया जाना चाहिए और इसे उस उपशमन के आधार पर समाप्त नहीं किया जा सकता है जिसे उच्च न्यायालय एकमात्र वादी की मृत्यु और उसके कानूनी प्रतिनिधि के वाद में शामिल न होने के कारण बताता है।

/

13. ऐसा पाए जाने के बाद, प्रश्न यह उठता है कि क्या इसे अपील पर विचार करने के लिए जिला न्यायाधीश के पास वापस जाना चाहिए या क्या इसे प्रतिवादी की शिकायत पर विचार करने के लिए उच्च न्यायालय को भेजा जाना चाहिए कि जिला न्यायाधीश के समक्ष अपील 2014 के मूल (घोषणात्मक) वाद संख्या 3 में मूल वादी की मृत्यु के संबंध में विचारणीय नहीं थी।

/

इस संबंध में, हम पाते हैं कि न्याय के हित में, चूंकि मुकदमे अभी भी लंबित हैं और इस मुद्दे का फैसला उक्त मुकदमों में किया जाना चाहिए, इसलिए यह अधिक उचित होगा यदि हम निर्देश दें कि अपीलार्थी के पिता और प्रतिवादी दोनों द्वारा दायर मुकदमों को उचित समय के भीतर लिया जाए और निर्णय लिया जाए।इस संबंध में और इसे सुविधाजनक बनाने के लिए, हम अपीलार्थी के निवेदन को दर्ज करते हैं कि अपीलार्थी सिविल विविध अपीलों पर दबाव नहीं डालेगा।

/

हम निवेदन दर्ज करते हैं और हम अपील की अनुमति देते हैं और उच्च न्यायालय के आदेश को दरकिनार करते हैं और उत्पन्न होने वाले मुद्दों की समानता और मुकदमों के पक्षों की समानता को ध्यान में रखते हुए, हम आगे निर्देश देते हैं कि 2014 का मूल (घोषणात्मक) वाद संख्या 3 और 2014 का मूल (निषेधाज्ञा) वाद संख्या 39 को समेकित किया जाएगा और मामलों का जल्द से जल्द और सिविल न्यायाधीश (वरिष्ठ प्रभाग), चुराचांदपुर के समक्ष इस निर्णय की एक प्रति पेश करने की तारीख से आठ महीने की अवधि के भीतर निपटारा किया जाएगा।

/

/

हम यह स्पष्ट करते हैं कि हमने पार्टियों की दलीलों के गुण-दोष पर कोई घोषणा नहीं की है, जिसे हम खुला छोड़ते हैं।पक्षकार अपना-अपना खर्च उठाएंगे।

/

अंकित ज्ञान

अपील अनुज्ञात ।

(सहायकः राहुल राठी, एलसीआरए)

/